(वाद संख्या–2852/19)

14.09.2020

परिवादी, राम नन्दन यादव उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना तथा संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला दिनांक–25.02.2019 के रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा जहानाबाद जिलान्तर्गत कोड़ौना ओ0पी0 के क्षेत्राधिकारन्तर्गत एन0एच0 के किनारे स्थित बालाजी प्याजियो ऑटो ऐजेन्सी में घूसकर बैटरी, कम्प्यूटर, हार्ड डिस्क, इनभर्टर, इक्कीस हजार रुपये नकद, पांच सौ रुपये का सिक्का आदि चोरी किये जाने से संबंधित भा0द0सं0 की धाराओं 461/379 के अन्तर्गत संस्थित कोड़ौना ओ0पी0 कांड संख्या–151/19, दिनांक–25.02.2019 में दो संदिग्धों (उक्त एजेन्सी के सुरक्षा प्रहरीगण) (1.) उदय यादव (परिवादी, राम नन्दन यादव के पुत्र) तथा (2) धनन्जय कुमार उर्फ धनन्जय यादव, पुत्र ईश्वरी प्रसाद से पूछताछ के दौरान उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से उक्त ओ0पी0 के पुलिसकर्मियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संदेह के आधार पर उक्त एजेन्सी के दोनों सुरक्षा प्रहरियों (उदय यादव एवं धनन्जय कुमार) को पूछताछ के लिए थाना में बुलाया गया, लेकिन उनके विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं रहने के कारण उन दोनों को पी0आर0 बौण्ड पर मुक्त कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद द्वारा अपने प्रतिवेदन में उन दोनों के साथ कोई दुर्व्यवहार या मारपीट नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। उन दोनों ने पी0आर0 बौण्ड में यह स्पष्ट रूप से अपने–अपने लिखावट में यह लिखा है उनका यह भी कथन है कि उन दोनों के साथ कोई शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं की गयी है।

परिवादी की ओर से पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद के उपरोक्त प्रतिवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल कर उक्त प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया जा रहा है। उनकी ओर से आयोग के समक्ष पुलिस कर्मियों द्वारा परिवादी के पुत्र तथा दूसरे सुरक्षा प्रहरी, धनन्जय यादव, के साथ मारपीट किये जाने का दस्तावेजी प्रमाण (जख्म प्रतिवेदन) भी दाखिल किया जा रहा है। दिनांक–28.02.2019 को ही उन दोनों तथाकथित जख्मी सुरक्षा जख्म प्रतिवेदन के अनुसार प्रहरियों ने अपना ईलाज अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल, जहानाबाद में कराया था, जिसमें चिकित्सक द्वारा उन दोनों के पैरों में चोट रहने की बात का उल्लेख

करते हुए उन्हें स्थानीय पुलिस से सम्पर्क स्थापित करने हेतु कहा गया। दूसरे जख्मी धनन्जय यादव के जख्म को देखते हुए उसे बेहतर चिकित्सा हेतु पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना रेफर कर दिया गया, जहां इमरजेन्सी में उसने दिनांक–01.03.2019 को अपने जख्मों का ईलाज कराया तथा पी0एम0सी0एच0 में भी चिकित्सक द्वारा जख्मी सुरक्षा प्रहरी धनन्जय यादव के दोनों पैरों में दर्द रहने की शिकायत का उल्लेख किया गया है।

परिवादी, राम नन्दन यादव के प्रत्युत्तर (पृ0–31–18/प0) व उसकी ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों (पृ0–22/प0–26/प0) की प्रति संलग्न कर पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद से दिनांक–07.01.2021 के पूर्व तक उक्त के आलोक में जांचोपरान्त निष्पक्ष प्रतिवेदन की मांग करें।

आज परिवादी की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली तिथि की सूचना के संबंध में परिवादी को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक–11.01.2021 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>सहायक निबंधक</u>